(xi) Training facilities for drivers, guards and staff connected with train operation have been modernised including use of Simulators for training of drivers.

(xii) Refresher courses are regularly organised at specified intervals.

(xiii) Performance of the staff connected with train operation is being constantly monitored and those founds deficient are sent for crash training.

(xiv) Periodical safety drives are conducted to inculcate safety consciousness among the staff.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को सुविधाएं

613. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार तथा रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शासकीय कार्यों के लिए यात्रा अवकाश संबंधी यात्रा, तथा सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा करते समय कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ख) ये सुविधाएं किस-किस श्रेणी में प्रदान की जाती हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क)

	रेल यात्रा सुविधा	हवाई यात्रा सुविधा
(i) सरकारी कार्य	रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए गोल्ड पास जारी किए जाते हैं। गोल्ड पास के प्राधिकार से वे अपने परिवार के पात्र सदस्यों के साथ भारतीय रेलवे पर किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि (क) वातानुकूल प्रथम श्रेणी और वातानुकूल स्लीपर/प्रथम श्रेणी में दो शायिकाओं से अधिक अथवा (ख) वातानुकूल स्लीपर/प्रथम श्रेणी में चार शायिकाओं से अधिक अथवा (ग) राजधानी एक्सप्रेस में I-वातानुकूल कूपा या वातानुकूल स्लीपर में चार शायिकाओं से अधिक अथवा (घ) शताब्दी एक्सप्रेस में एक्जीक्यूटिव श्रेणी/कुर्सीयान में 4 सीटों से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे।	स्वविवेक से हवाई यात्रा कर सकते हैं।
(ii) अवकाश के दौरान	प्रति वर्ष I-वातानुकूल के 6 सेट और सुविधा टिकट आदेश के 4 सेट। सुविधा पास के प्राधिकार से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अकेले अथवा अपने परिवार के पात्र सदस्यों के साथ राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों में किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि वे I-वातानुकूल में दो शायिकाएं या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में दो सीटों से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में वे या तो I-वातानुकूल/वातानुकूल स्लीपर में 2 शायिकाओं या वातानुकूल 3 टियर में 4 शायिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रतिबंध अन्य श्रेणियों और अन्य गाड़ियों में यात्रा करने पर लागू नहीं होगा।	कुछ नहीं
(iii) अधिवर्षिता के बाद	सेवानिवृत्ति पश्चात प्रति वर्ष प्रथम श्रेणी-ए मानार्थ पास के तीन सेट। सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास के प्राधिकार से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अकेले अथवा अपने परिवार के पात्र सदस्यों के साथ राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों में किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि वे I-वातानुकूल में दो शायिकाएं या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में दो सीटों से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में वे	कुछ नहीं

	रेल यात्रा सुविधा	हवाई यात्रा सुविधा
	या तो I-वातानुकूल/वातानुकूल स्लीपर में 2 शायिकाओं या वातानुकूल 3 टियर में 4 शायिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रतिबंध अन्य श्रेणियों और अन्य गाड़ियों में यात्रा करने पर लागू नहीं होगा।	
(ख) यात्रा की श्रेणी		
	(i) रेल द्वारा — I वातानुकूल और/या II वातानुकूल	
	(ii) हवाई जहाज द्वारा — सरकारी कार्य के दौरान एक्जीक्यूटिव क्लास	

Ticketless rail travel in the name of M.Ps.

614. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news-item captioned "Self-styled M.Ps. derailed for ticketless travel" which appeared in the Hindustan Times of December 3, 1998, regarding ticketless rail travel in the name of M.Ps.;

(b) whether it is a fact that such wrong practice had been prevailing for long;

(c) if so, the loss to the exchequer and the steps taken to check it; and

(d) whether Government propose to call for a meeting of leaders of all political parties and arrive at a decision to check this practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) Some instances have come to notice.

(c) Any person found travelling without proper authority to travel is dealt with under the Provisions of Railway Act which include collection of railway dues along with penalty, handing over to the concerned authorities for prosecution etc. Since, dues of the Government are realised from such passengers or the persons are prosecuted, the loss on this account can not be quantified.

(d) There is no such proposal at present.

Accidents at unmanned railway crossings

615. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of accidents which took place at unmanned Railway crossings during the last three years and the number of persons killed therein;

(b) the amount of compensation provided for those dead and to the injured persons; and

(c) the state-wise number of unmanned crossings in the country at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) Number of accidents at unmanned level crossings, and number of persons killed in these accidents during the last three years are given below:—